कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन–शाखा), सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल–462004

क्रमांक/एफ/05/सम/उत्पा/तेप टीपी/12/011/ 3977 भोपाल, दिनांक : 27/09/2010

प्रति,

1– समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

2– समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/
प्रबंध संचालक, जिला यूनियन मध्यप्रदेश .

विषय :– तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने बाबत् ।

—00—

विषयांतर्गत तेन्दूपत्ता व्यापारियों को तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्रों के जारी होने के अनावश्यक विलंब न हो तथा अव्यवहारिक रूप से कम समयावधि के लिये अनुज्ञा पत्र जारी न हो के संबंध में म0 प्र0 शासन, वन् विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 26/639/10/3 दिनांक 20.09.1991 के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये थे । इस संबंध में वर्ष 2006 में भी तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0 प्र0 भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक/14743 दि0 25.11.2006 के द्वारा निर्देश जारी किये तथा वर्ष 2007 में पुनः अपर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) ने अपने पत्र क्रमांक/एफ/05/07/सम/उत्पा/ते.प./111 भाग–3/3600 दिनांक 08.10.2007 के द्वारा निर्देश जारी किये । तेन्दूपत्ता अनुज्ञा पत्र जारी करने के संबंध में म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली 1996 के नियम 4 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं ।

उपरोक्त निर्देशों के बावजूद तेन्दूपत्ता व्यापारियों के द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार 100 प्रतिशत राशि जमा करने/किस्तों का भुगतान करने के उपरांत परिदान आदेश एवं परिवहन अनुज्ञा पत्र समय पर जारी नहीं किये जाने या काफी विलंब से जारी किये जाने की शिकायतें बार–बार प्राप्त होती रहती हैं । ऐसी शिकायतों से विभाग की छबि तो धूमिल होती ही है साथ ही उक्त व्यापार के राजस्व प्राप्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अतः पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं कि :–

1– क्रेता के द्वारा शत् प्रतिशत राशि जमा कराये जाने की अवस्था मे मांग किए जाने पर फड़ से ही अधिसूचित पूर्ण मात्रा के लिए पूर्ण करार अवधि के लिए परिवहन हेतु अनुज्ञा पत्र–1 (मुख्य) जारी करते हुये अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) अविलंब जारी कर दिया जाये ।

2– दोहरे ताले की अवस्था में फड़ से गोदाम तक के लिए अधिसूचित मात्रा की 75 प्रतिशत मात्रा के लिये क्रेता की मांग पर अनुज्ञा पत्र 1 (मुख्य) जारी करते हुये इसी मात्रा के लिए अनुज्ञा पत्र 1 (सहायक) जारी कर दिया जाये । शेष मात्रा के लिये वास्तविक संग्रहण की मात्रा के आधार पर ऐसी कार्यवाही की जा सकती हैं।